

**कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया**  
**(जिला सामान्य शाखा)**

**आदेश**

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2957/गो0, दिनांक 30.07.2018 द्वारा श्री गोपाल सिंह पे0-स्व0 योगेन्द्र सिंह, साकिन-माधवपुर, थाना-परबत्ता, जिला-खगड़िया के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-02/2015 को शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन के मामलों में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3) (b) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0-IV-16/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-09 पर दिनांक 10.08.2018 को पारित आदेश के आलोक में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री गोपाल सिंह पे0-स्व0 योगेन्द्र सिंह, साकिन-माधवपुर, थाना-परबत्ता, जिला-खगड़िया के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या- 02/2015 (परबत्ता थाना) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत अनुज्ञप्ति धारी श्री गोपाल सिंह को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को अविलम्ब परबत्ता थाना के मालखाना/किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में जमा करते हुए पावती रसीद की छायाप्रति एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

— ६० —  
जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-22/2018.....780...../जी0, दिनांक 27/8/18.
- प्रतिलिपि : श्री गोपाल सिंह पे0-स्व0 योगेन्द्र सिंह, साकिन-माधवपुर, थाना-परबत्ता, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, परबत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति संबंधित को तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया /जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,  
खगड़िया।